राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

दिनांकः—09.06.2020

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

प्रार्थना पत्र संख्या : 16/ 2020

1. मामचन्द पुत्र स्व. गीधाराम जाति जाट निवासी बाडेट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

—प्रार्थी—

बनाम

1. मनकोरी पुत्री स्व. गीधाराम पत्नी स्व. रतनाराम जाति जाट निवासिनी मोजास तहसील व जिला झुन्झुनू
2. शुभकरण पुत्र गीधाराम जाति जाट निवासी बाडेट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
3. खींवाराम पुत्र गीधाराम जाति जाट निवासी बाडेट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
4. विजेन्द्र पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी बाडेट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोद्य, चूरू (राज.)

—अप्रार्थीगण—

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

<u>अन्तरिम स्थगन आदेश</u>

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः अन्तरिम स्थगन आदेश इस अमर का जारी किया जाता है कि उभय पक्ष वादगत कृषि भूमि ख.नं. 47 तादादी 5.3241 हैक्टेयर रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील चूरू की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात् पृथक् से जारी होंगे। बैंक ऋण वसूली (रोड़ा एक्ट), रास्ता विवाद, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.08.2020 को उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 09.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू